

10/1/08


न्यायालय में - राजस्व मण्डल ग्वालियर म 090

कायालय कलेक्टर शहडोल

7 JAN 2008

गास्त्रा R-Call

अधीनस्थ



श्रीमती हिरादिया बाई पत्नी स्व० सीताराम

2- जगदीश प्रसाद पिता स्व० सीताराम

R-40-I/08

3- शंभू प्रसाद पिता स्व० सीताराम

4- उर्मिला


5- गीता पुत्री सीताराम

6- कृष्णा

सभी निवासी ग्राम खैरा तहसील सोहागपुर जिला
शहडोल म०प्र०----- आवेक्ष गण

बनाम

अयोध्या प्रसाद पिता राम सुंदर निवासी ग्राम खैरा तहसील
सोहागपुर जिला शहडोल म०प्र०----- अनावेक्ष



RECEIVED

क्रमांक 86
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 14-1-08 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर
मान्यवर,

निगरानी विरुद्ध निर्णय एडिशनल कमिश्नर
रीवा संभाग रीवा म०प्र० प्र० क्रं० 96/अपील/
94-95 आदेश दिनांक 1.6.07

अधीनस्थ
कलेक्टर, शहडोल

आवेक्ष गण निम्नलिखित कारणों से निगरानी पेश कर
प्रार्थी है-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय अति० आयुक्त रीवा
संभाग रीवा का आदेश कानूनन एवं वाक्यातन गलत है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय अति० आयुक्त रीवा
संभाग रीवा ने आवेक्ष गणों के पति/ पिता स्व० सीताराम के विरुद्ध
बिना अपी० /आवेक्ष गण की पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया
है जो स्वभाव प्रभावशून्य हैकि क्योंकि प्रकरण में सीताराम का स्वर्गवास
दिनांक 22.5.97 को हो गया था बिना सीताराम के वारिसों के

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
26-7-16	<p>आवेदक श्री मुकुंश भार्गव उपस्थित / जनावेदक उपस्थित गयी / आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों से अफगान कराया कि अपर-आयुक्त शीवा संभाग शीवा द्वारा अना. के हल होने पर सुतक के कारिसों के रिकार्ड पर सिये बिना पुकरण का निराकरण किया है / ग्राम पंचायत का मूल्य प्रमाण पत्र की काया प्रति भी प्रस्तुत की है / अतः सुतक के विरुद्ध किया गया फेसला सुन्यपत है / न्याय के विरुद्ध है / मान्य गयी किया जा सकता है / बिगानी खारिज की जाती है / अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यापित किया जाता है कि कारिसों के रिकार्ड पर लेकर सुबवाई का समुचित गुण-सर्वे के आधार पर अवसर देकर निराकरण करें।</p>	<p>श्री श्री</p>

✓

श्री